7 आतंकवाद
(Terrorism)

"अपने लक्ष्य को प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्त्तव्य और अधिकार है, लेकिन इसके लिए साधनों की पवित्रता परम् आवश्यक है। हम हिंसा को किसी भी रूप में पवित्र साधन के तौर पर नहीं अपना सकते।"

– राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी

परिचय (Introduction)

आतंकवाद सामाजिक विज्ञान की समसामयिकी राजनीतिक मुद्दे हैं। यह एक ऐसी विचारधारा है जो अपनी स्वार्थसिद्धि और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार की शक्ति तथा अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग करने में विश्वास रखती है। अस्त्र-शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय, सम्प्रदाय अथवा राष्ट्र विशेष को गैर-कानूनी ढंग से डराने, धमकाने, जान से मार देने, हिंसा के माध्यम से सरकार को गिराने तथा शासन तन्त्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कहा जा सकता है जिसके माध्यम से कतिपय अवांछित तत्त्व अपनी सभी प्रकार की माँगें मनवाने के लिए अनेकानेक प्रकार के घोर हिंसात्मक उपायों एवं जघन्य अमानवीय साधनों एवं अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वर्त्तमान में विश्व आतंकवाद की चपेट में आ चुका है, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्त्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और सामूहिक हत्याओं का कुत्सित रास्ता अपनाया जा रहा है। भौतिक दृष्टि से समृद्ध और विकसित समझे जाने वाले देशों में आतंकवाद की यह प्रवृत्ति विशेष रूप से पनप रही है। अमरीका के राष्ट्रपति **जॉन एफ. केनेडी**, भारत की प्रधानमंत्री **श्रीमती इन्दिरा गाँधी** तथा **राजीव गाँधी** और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री **बेनजीर भुट्टो** की नृशंस हत्या, अमरीका के हवाई जहाज में बम विस्फोट, भारत के हवाई जहाज का पाकिस्तान में अपहरण इत्यादि अनेक ऐसी घटनाएँ हैं, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उल्लेखनीय उदाहरण कहा जा सकता है।

वैसे आतंकवाद उतना ही प्राचीन है जितना इतिहास, परन्तु आधुनिक आतंकवाद का सबसे खतरनाक और घबड़ा देने वाला रूप है–अन्तर्राष्ट्रीय

Scanned with CamScanner

चहारदीवारियों को लांघकरना। यह प्राचीन समय की डाकाजनी के रूप में भी नहीं है और न ही छुपकर मार-पीट कर भाग जाना ही है। यह एक सतत् संग्राम है, जो परम्परागत संग्रामों के नियमों की परवाह नहीं करता। यह नागरिक कानूनों को महत्त्व नहीं देता। आतंकवाद के समर्थक इसका आदर्शीकरण करते हैं और इसको राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठित भी करते हैं।

आतंकवाद का अर्थ (Meaning of Terrorism) – 'आतंकवाद' शब्द दो शब्दों 'आतंक' और 'वाद' से मिलकर बना है। जहाँ 'आतंक' का अर्थ भय या त्रास है, वहीं 'वाद' का अर्थ 'विचार' अथवा 'सिद्धान्त' है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भय या त्रास के माध्यम से अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का सिद्धान्त या विचार आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद का उद्देश्य भिन्न-भिन्न देशों और समयों में अलग-अलग हो सकता है, परन्तु राजनैतिक कार्य की पद्धतियों के रूप में आतंकवाद एक पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। इस दृष्टि से इसका मुख्य उद्देश्य है, राज्य में सत्ता को अस्थिर बनाना और हिंसा की कार्यवाहियों के द्वारा जनता में इतना भय उत्पन्न कर देना कि सरकार आतंकवादियों की माँगों को मानने के लिए विवश हो जाय। इस दृष्टि से आतंकवाद का अर्थ राजनीतिक आतंकवाद के रूप में समझना चाहिए। राजनीतिक आतंकवाद का स्वरूप अन्य आतंकवादी प्रवृत्तियों से भिन्न होता है। इसके स्वरूप की विस्तृत चर्चा के पहले हमें इसकी परिभाषा निश्चित कर लेनी चाहिए, इससे इसके स्वरूप पर प्रकाश डालने में सहायता मिलेगी।

परिभाषा (Definitions) – आतंकवाद की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं–

इनसाइक्लोपीडिया ऑफ दी सोशल साइन्सेस में आतंकवाद की परिभाषा इस प्रकार की गयी है–'**आतंकवाद**' वह पद (Term) है, जिसका प्रयोग विधि अथवा विधि के पीछे सिद्धान्त की व्याख्या के लिए किया जाता है, और जिससे एक संगठित समूह या पार्टी अपने स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति मुख्य रूप से व्यवस्थित हिंसा के प्रयोग द्वारा करता है।"

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, आतंकवाद, "राजनीतिक लक्ष्यों के लिए भय का प्रयोग करना है।"

एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करण्ट इंग्लिश के अनुसार, "राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना आतंकवाद है।"

लॉगमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, "शासन करने या राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए भय से एक विधि के रूप में उपयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही आतंकवाद है।"

बृहद् हिन्दी कोष के अनुसार आतंकवाद की परिभाषा निम्न प्रकार है, "राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भयोत्पादक उपायों का अवलम्बन।"

राष्ट्र संघ के अनुसार, " आतंकवाद प्रजातंत्रीय समाजों को अस्थिर करने का मौका है और यह ये प्रदर्शित करता है कि सरकार शक्तिहीन है।"

भारत सरकार द्वारा आतंक विरोधी विधेयक में आतंकवाद की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है—"सरकार अथवा लोगों को आतंकित करने, विभिन्न वर्गों में वैमनस्य बढ़ाने तथा शान्ति भंग करने के उद्देश्य से बम विस्फोट करने, आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने, सम्पत्ति नष्ट करने, रसायन अथवा रासायनिक अस्त्र इस्तेमाल करने तथा आवश्यक सेवाओं में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से जो भी कार्य किए जायेंगे उन्हें आतंकवादी कार्य माना जाएगा।"

प्रो. पेड्रो आर. डेविड लोबार्ड के कथनानुसार, "चाहे कोई भी देश हो, सामान्यतया आतंकवादी वही एक जैसी गति, प्रणाली और आयाम ग्रहण करता है। यहाँ तक कि आतंकवादियों की कार्य-प्रणाली भी एक समान होती है। वे अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों और राजनयिकों का अपहरण करते हैं, विमानों का अपहरण करते हैं, सार्वजनिक नेताओं की हत्या करते हैं, बमों को ब्लास्ट करते हैं और तोड़-फोड़ की कार्यवाही करते हैं। इस प्रकार की समस्त कार्यवाहियों के पीछे आतंकवादियों का एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है–"आतंकवाद स्थापित कर अपनी बात मनवाना।"

ब्रिअन. एम. जेन्किन्स (Brian M. Jenkins) ने '**दी स्टडी ऑफ टेररइज्म**' में आतंकवाद की परिभाषा देते हुए लिखा है, "आतंकवादी क्रियाओं में बहुधा विशिष्ट माँगों के साथ हिंसा या हिंसा की धमकी समाविष्ट होती है। हिंसा का शिकार सामान्य जनता होती है। हिंसकों का लक्ष्य राजनीतिक होता है। आतंकवादियों की क्रियाएँ सामान्य रूप से इस प्रकार की जाती हैं कि उससे उन्हें अधिकतम प्रचार की सफलता प्राप्त हो। आतंकवादी एक संगठित समूह के सदस्य होते हैं और वे अन्य अपराधियों की अपेक्षा अपने कार्य के लिए प्रसिद्धि का दावा भी करते हैं। अंत में आतंकवादी क्रियाओं का लक्ष्य तत्काल भौतिक वस्तुओं के विनाश की अपेक्षा प्रभाव उत्पन्न करना होता है।"

ग्रान्ट वार्डला के अनुसार, "राजनीतिक आतंकवाद किसी व्यक्ति अथवा किसी समूह द्वारा सत्ता के पक्ष अथवा विरोध में हिंसा का प्रयोग या हिंसा के प्रयोग की धमकी है।"

पुनः **ग्रान्ट वार्डला** के कथनानुसार, "अत्यधिक भय और गम्भीर चिन्ता उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गयी ऐसी कार्यवाही का लक्ष्य कार्यवाही द्वारा

Scanned with CamScanner

तात्कालिक पीड़ितों के माध्यम से उस बड़े समुदाय को प्रभावित करना होता है जिस पर दबाव डालकर कार्यवाही करने वालों की राजनीतिक माँगों को स्वीकार करने के लिए उसे बाध्य किया जा सके।"

राष्ट्रपति रीगन के कथनानुसार, "आतंकवाद एक बर्बर कार्यवाही है, आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग वहशी लोग हैं।"

राम आहूजा के अनुसार, "आतंकवाद हिंसा या हिंसा की धमकी के उपयोग द्वारा लक्ष्य-प्राप्ति के लिए संघर्ष या लड़ाई की एक विधि व रणनीति है एवं अपने शिकार में भय पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह क्रूर व्यवहार है जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता।"

जेम्स ए. मिलर ने आतंकवाद को, ''राजनीतिक हिंसा का स्वरूप कहा है।''

ब्रिअन एमजेन्किन्स ने कहा है 'हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृति और लोगों को आतंकित करने के लक्ष्य से हिंसा का विचार आतंकवाद है।'

जी स्वार्जेनबर्गर के कथनानुसार '' आतंकवाद भय पैदा करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है।''

जे. मल्लीक के अनुसार, '' आतंकवाद एक तरह का सशस्त्रत संघर्ष है, अत: इसे सैनिक कार्यवाही मानना चाहिए; जब राजनय असफल होता है तो सैनिक कार्यवाही प्रारंभ करते है और जब सैनिक असफल होते हैं तो उसका स्थान आतंकवादी ले लेते हैं।''

राष्ट्रपति **ब्लादिमीर पुतिन** (रूस) के अनुसार, "आतंकवादी शक्तियाँ अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति करने हेतु धर्म का दुरूपयोग करती है ताकि वह धार्मिक जनता की सहानुभूति पाने के साथ ही भोले-भाले नौजवानों को धर्म से प्रेरित कर आतंकवाद के रास्ते पर लाते हैं।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आतंकवाद राज्य या समाज के विरुद्ध एक कार्यवाही है जो अवैध एवं गैरकानूनी ढंग से लोगों में भय उत्पन्न करके अपने हित के लिए नृशंस कार्यवाही करता है। इसका राजनीतिक उद्देश्य भी होता है। इन विशेषताओं के अलावे कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार गिनायी जा सकती है–

(i) यह न केवल अपने तात्कालिक शत्रु को अपितु सामान्य लोगों को भी डराने और उनमें भय एवं आतंक पैदा करने की कोशिश करके उन्हें अवपीड़ित एवं वश में करने का कुप्रयास करता है।

(ii) यह अपने कार्यों या हमलों को इतने आकस्मिक और भयंकर रूप में अंजाम देता है कि केवल जन-साधारण में ही नहीं अपितु कभी-कभी सरकार में भी बेबसी या लाचारी की भावना पैदा होती है।

(iii) इनके कारनामे किसी भी रूप में तर्क संगत नहीं होते और कभी-कभी तो योजना, दुस्साहस, बर्बरता और संहार के पैमाने के लिहाज से उसे अभूतपूर्व कहा सकता है।

(iv) यह बुद्धि संगत विचार को समाप्त कर देता है और अपने कारनामों के औचित्य को दर्शाने के लिए धार्मिक ग्रन्थों या राजनीतिक विचारकों के विचारों को अपने लक्ष्यों के अनुसार तोड़-मोड़कर कुतर्कों की मदद से प्रस्तुत करता है और इस बात पर बल देता है कि जो कुछ वह कर रहा है या कह रहा है, वही ठीक है।

(v) यह केवल विरोधी पक्ष पर ही नहीं सजातीय समुदाय पर भी हमला कर सकता है।

(vi) इससे लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया होती है।

(vii) इसमें की गयी हिंसा में मनमानी होती है क्योंकि शत्रु या शिकारों का चयन बिना किसी सोच-समझ या योजना के अन्धाधुन्ध होता है। इसीलिए इसके शिकार किसी भी जाति, धर्म, आयु या वर्ग के यहाँ तक कि मासूम बच्चे, असहाय वृद्ध और निर्दोष महिलाएँ भी हो सकते हैं।

आतंकवाद के उद्देश्य (Objectives of Terrorism)—आज किसी न किसी रूप में विश्व के लगभग प्रत्येक देश को आतंकवाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित तीव्र हिंसा का प्रयोग है, जिसके द्वारा निरापराध लोगों एवं सम्पत्ति को क्षति पहुँचाती है। वह व्यक्ति या संगठन जो अपने किसी लक्ष्य पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हिंसक तरीकों का प्रयोग करता है आतंकवादी है। जिस प्रकार 18वीं-19वीं सदी में साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद के विस्तार के लिए और 20वीं सदी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की चरम् परिणति और उसकी समाप्ति एवं शीतयुद्ध के लिए जानी जाती है। ठीक उसी प्रकार 21वीं सदी आतंकवाद की चरम् परिणति और विश्व शान्ति के लिए जानी जाएगी। अत: आतंकवाद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

Scanned with CamScanner

(i) देश की सुरक्षा, शान्ति व अखण्डता के लिए हर सम्भव खतरा उत्पन्न करना ताकि देश में भय, आतंक व असुरक्षा का वातावरण बना रहे।

(ii) देश के अन्य अलगाववादी शक्तियों को भड़काना सरकार व जनता का सिर दर्द बना रहे।

(iii) अपने उद्देश्य व आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करना।

(iv) अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेषकर युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना और अपने आदेशों के पक्ष में उनके दिल व दिमाग में विष घोलना और उन्हें संगठन के लिए मर मिटने को तैयार करना।

(v) धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण और सार्वजनिक सम्पत्ति को अन्धाधुन्ध नष्ट करके सरकार या शासन पर अपनी माँगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना।

(vi) विरोधियों और मुखबिरों को किसी भी कीमत पर सहन या क्षमा न करना और उन्हें खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। उसी प्रकार आन्दोलन या उनकी गतिविधियों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करना पर, अपने समर्थकों या अनुयायियों की हर तरह से मदद करना और उनके पकड़े जाने पर उन्हें छुड़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना।

(vii) शासन व सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास करना ताकि वे अपने कारनामों को अंजाम दे सकें।

आतंकवाद के उद्भव के कारण (The couses of the emergence of Terrorism) — आतंकवाद विश्व समुदाय के लिए गंभीर समस्या है। इसके उत्पत्ति के उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं–

(i) **शोषण तथा अन्याय की प्रवृत्ति**—विश्व भर में आतंकवाद के पनपने का एक कारण शोषण और अन्याय का पाया जाना है। यह प्रवृत्ति वर्षों से चली आ रही है। साम्राज्यवाद के द्वारा अविकसित और निर्धन देशों का शोषण किया गया। स्वतन्त्र भारत में भी शोषण जारी रहा। इसी प्रकार की परिस्थितियों में आतंकवादी जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि वे आतंकवादी नहीं हैं बल्कि शोषण और अन्याय के विरोधी हैं।

(ii) **आतंकवादियों को विदेशों से सहायता**—विश्व में ऐसे देश हैं जो आज भी आतंकवादियों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। दूसरे देशों को आतंकवाद रोकने में सहायता नहीं देते बल्कि दूसरे देशों में अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकवादियों को आर्थिक और राजनीतिक सहायता

करते हैं। पाकिस्तान, भारत में इसी प्रकार आतंक फैलाना चाहता है जिसके लिए आई.एस.आइ., लश्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद आदि संगठन क्रियाशील हैं।

(iii) **दलीय राजनीति**—राजनीतिक दल भी आतंकवाद बढ़ाने का कार्य करते हैं। वे वोटों के लालच में कुछ भी गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं। दल चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठनों का सहारा भी लेते हैं। कभी-कभी तो दल हिंसक, आतंकवादी और गुण्डा टाइप लोगों को अपने दल से चुनाव भी लड़ाते हैं।

(iv) **युवकों में तीव्र असन्तोष**—बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद आदि अनेक कारणों से युवकों में असन्तोष है। आज का युवक अधिक महत्त्वाकांक्षी है परन्तु अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसके पास साधन नहीं है। इसलिए वह तस्करी, नशीले पदार्थों का व्यापार और आतंकवाद से जुड़ जाता है।

(v) **अवैध शस्त्र व्यापार**—वर्त्तमान में अवैध शस्त्र व्यापार इतना अधिक बढ़ गया है कि आधुनिकतम और भयानक शस्त्रों को अवैध रूप से प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं रह गया है।

(vi) **हथियारों का आधुनिकीकरण**—हथियारों की यान्त्रिकी में इस सीमा तक आधुनिकता आ गयी है कि बहुत तीक्ष्ण रूप से काम करने वाले लघु आकार के हथियार बनने लगे हैं जिनका उपयोग आधुनिक आतंकवादी आसानी से छिपा लेता हैं। ऐसे हथियारों को ले आना और ले जाना भी सरल है। इनको चलाने और रखने में भी सरलता है। इस सुविधा के कारण भी आतंकवाद में वृद्धि हुई है।

(vii) **भ्रष्टाचार**—विश्व भर में भ्रष्टाचार का बोलवाला है। नवयुवक वर्ग राजनीतिज्ञों, उच्च नौकरशाहों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के आचरण को देखकर अपना धैर्य खो देता है। उच्च स्तर के पदाधिकारी रिश्वत और भ्रष्टाचारी तथा जालसाजी में लिप्त नजर आते हैं। ये सभी आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

(viii) **न्याय व्यवस्था में देरी**—न्याय व्यवस्था भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवादी, जालसाजी जैसे मुकदमों में अनेक वर्ष लगा देती है जिससे आतंकवादी निर्भीक होकर अपना कार्य करते रहते हैं।

(ix) **आर्थिक दशाएँ**—विद्यार्थियों और युवकों द्वारा किए गए विद्रोह तथा आतंक का सबसे बड़ा कारण आर्थिक है—जैसे तेजी से बढ़ती हुई

Scanned with CamScanner

बेरोगजारी, विश्व के सभी देशों में बेतहासा बढ़ती हुई वस्तुओं की कीमतें, महंगाई, जिससे समझौता कर पाना कठिन हो गया।

(x) **शिक्षा की गिरी हुई दशाएँ**—विद्यार्थियों में विद्रोह और आतंक की प्रवृत्ति पनपने का कारण शिक्षा से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। जैसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्याप्त सुविधाओं की कमी, अध्यापकों की अपर्याप्त संख्या तथा उनमें उच्च कोटि की योग्यता का अभाव, पुराना पाठ्यक्रम का होना और उचित स्थान का अभाव इत्यादि।

(xi) **यातायात के अति तीव्र गति वाले साधन**—यातायात के साधनों में वैज्ञानिक युग की बहुत बड़ी देन है। ऐसे अति तीव्र गति के साधन विकसित हुए हैं कि सम्पूर्ण विश्व सिकुड़ कर छोटा हो गया है। थोड़े से समय में विश्व के किसी कोने में सरलता से पहुँचा जा सकता है। आतंकवादी इस सुविधा का लाभ उठाते हुए आतंकवाद का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने में सफल हुए हैं। आतंकवादी आतंक की क्रियाएँ करके बिना पकड़ में आए विश्व के किसी स्थान में छिप जाते हैं। इन यातायात के साधनों ने विश्व के आतंकवादी समूहों में परस्पर सम्बन्ध बनाए रखने की सुविधा प्रदान की है। इन सुविधाओं से आतंकवादियों के कार्यों में एकता बनी रहती है।

उपर्युक्त कारणों के अलावे भी आतंकवाद की वृद्धि के लिए कुछ अन्य उत्तरदायी कारण हैं जैसे–व्यक्ति के नैतिक मूल्यों में ह्रास तथा नैतिक शिक्षा का अभाव जिसके कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास संभव नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना लेते हैं। इसके साथ ही गुप्तचर सेवाओं तथा प्रशासन की विफलता भी आतंकवाद की वृद्धि में सहायक सिद्ध होता है।

आतंकवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background of Terrorism)—आतंकवाद का इतिहास बहुरंगी है। विभिन्न समयों में विभिन्न मुद्दों को लेकर इसका सूत्रपात हुआ है। सर्वप्रथम लिखित इतिहास में आतंकवादी आन्दोलन (66-73 A.D. के बीच) फिलिस्तीन में एक धार्मिक सम्प्रदाय **'सकारी'** (Sacari) **जीलट्स (zealots)** संघर्ष में मिलता है। विश्व का दूसरा प्रमुख आतंकवादी आन्दोलन 'सोसायटी ऑफ असेसिअन' का था, जो मध्यकाल में सक्रिय था। यह आन्दोलन 'हसन इब्न-अल्-सबाह' द्वारा चलाया गया था। आतंकवाद का लिखित इतिहास मध्यकालीन भारत में एक गुप्त सम्प्रदाय 'ठगों' का मिलता है। यद्यपि ठगों का प्रत्यक्ष रूप से कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं था, फिर भी इनसे जनता और सरकार आतंकित थी।

प्राचीन विश्व में आतंकवाद का स्वरूप अत्याचारी शासक के हनन के विचार के रूप में मिलता है। शासक की हत्या को पाप माना गया तथा दैवी और प्राकृतिक कानून के विरुद्ध भी बताया गया। **प्लेटो** तथा **अरस्तू** ने तानाशाही शासन को निकृष्ट प्रकार का शासन माना। मध्यकालीन विचारकों में **सैलिसबरी** ने कहा, "यदि शासक अत्याचारी है तो उसका वध करना उचित है।" उनके अनुसार, "जो व्यक्ति तलवार को हाथ में लेता है, उसका तलवार से मरना उचित है।" **थामस एक्विनास** ने अत्याचारी शासक की निन्दा तो की परन्तु उसकी हत्या की अनुमति नहीं दी। परन्तु अत्याचारी शासक को अवश्य हटा दिया जाना चाहिए। आधुनिक आतंकवादी धारणा में इन दार्शनिकों के विचार समाविष्ट जान पड़ते हैं। फ्रांस की क्रान्ति के पश्चात् 'आतंक का राज्य' कायम हुआ। एक छोटे से आतंकवादी गुट का बोलबाला रहा। 19वीं शताब्दी में अराजकतावादियों का मुख्य विश्वसनीय हथियार आतंकवाद ही था। अनेक विचारकों ने आतंकवाद के सिद्धान्त निर्माण में भाग लिया तथा वे उसके सक्रिय पोषक थे। इनमें **कार्लोवियान्को**, **आगस्ट ब्लान्क** तथा **बकुनिन** आदि का प्रमुख स्थान है। इसमें से बकुनिन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने आतंकवाद को अन्याय, सत्ता और पूँजीवाद के विरुद्ध लड़ने के वैध हथियार के रूप में स्वीकार किया। क्रान्ति का फल तभी प्राप्त हो सकता है जब हिंसात्मक कार्य किये जाएँ। उन्होंने यह भी कहा है – "गुप्त अराजक संगठनों को आतंकपूर्ण कार्यवाही करनी पड़ेगी। क्रान्ति का प्रसार राष्ट्रीय आधार पर एक-एक कोने में करना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ क्रान्तिकारियों को परीक्षण भी देना पड़ेगा।" सन् 1874-81 के बीच रसियन क्रान्ति में आतंकवाद को प्रमुख स्थान मिला। **'नरोडन्या वोल्या'** (Narodnaya Volya) 'जनता की इच्छा'—नामक रसियन मुक्ति आन्दोलन ने आतंकवाद को एक विधा के रूप में प्रयुक्त किया। अराजकतावादी तथा रसियन आतंकवादी यद्यपि समकालीन थे, परन्तु इनके आतंकवाद के स्वरूप में अन्तर था। अराजकतावादी आतंकवाद व्यक्तिवादी था जबकि रसियन आतंकवाद संगठित तथा निर्देशायुक्त था।

सन् 1919-1921 के बीच एंग्लो-आइरिश राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन जो **सिन फेनर्स** द्वारा चलाया गया, इसमें आतंकवादी विधियों का खुलेआम उपयोग किया गया। इसका उद्देश्य था-शक्ति द्वारा आयरलैण्ड को अंग्रेजी राज्य के नियन्त्रण से मुक्त कराना और आइरिश एकता स्थापित करना। इसके लिए आतंकवादी खुलेआम अंग्रेज सरकार की सम्पत्ति को नष्ट करते, हथियारों से पुलिस पर आक्रमण करते तथा लोगों को आतंकित करते थे। इस आइरिश

Scanned with CamScanner

आतंकवाद ने विश्व को तब चकित कर दिया जब आतंकवादियों ने सन् 1979 में **लार्ड माउन्टबैटन** की हत्या कर दी। इस हत्या के कारणों की जड़ इसी एंग्लो-आइरिश राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में देखी जा सकती है। इसी प्रकार **अर्मेनियन** (Armenian) **आतंकवाद** का प्रारम्भ 1860 में, 1890 में और पुन: 1915 के बाद देखने में आया, जिसमें बहुत सी संख्या में ओटोमन्स (ottomans) द्वारा अर्मेनियन्स की हत्या की गयी। उन्होंने अनेक तुर्की अधिकारियों और प्रतिनिधियों को जान से मार डाला और अनेक आक्रमण किए।

प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु तथा कौटिल्य ने हिंसा तथा आतंकवादी विधियों के प्रयोग की अनुमति दी है जिससे राज्य अपने शासन को प्रभावकारी बना सके। बध, अंग-छेदन तथा अग्नि-दाह तक को दण्ड में सम्मिलित किया गया है। भारतीय परतन्त्रता की जंजीरों को तोड़ने के लिए अनेक देशभक्तों ने आतंकवादी विधियों का उपयोग किया। (1906-1914) में बंगाल और महाराष्ट्र में क्रान्तिकारी आतंकवाद के लक्षण सबसे पहले दिखाई पड़े। द्वितीय आतंकवादी काल (1919-1932) में काकोरी केस, **सरदार भगत सिंह** और बम कांड प्रसिद्ध है। तृतीय काल (1939-1946) में **सुभाष चन्द्र बोस** का 'फारवर्ड ब्लाक' तथा उनका यह नारा कि 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा' - आतंकवादी प्रक्रिया के उदाहरण हैं। सन् 1857 का गदर अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी प्रक्रिया का एक स्वरूप है। **वहाबियो** ने बहादुरी से अंग्रेजों से लड़ाई की। इस लड़ाई में आतंकित करने वाली विधियों का उपयोग हुआ था। यद्यपि यह एक धार्मिक प्रकृति का सम्प्रदाय था, परन्तु इसका स्वरूप आतंकवादी था। सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतीय राज्य में आतंकवादी गतिविधियों की लहर व्याप्त थी। आतंकवादी क्रियाओं में हत्या, बम काण्ड आदि प्रमुख थे। भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक अलगाववादी तत्त्वों ने भी आतंकवाद का प्रयोग करना शुरू किया। देश के उत्तरी-पूर्वी भाग और पंजाब में उग्रवादी प्रवृत्ति इस सीमा तक बढ़ चुका है कि देश की अखंडता और एकता को कायम रख पाना अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है।

अत: यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद बहुत प्राचीन समय से विश्व के अनेक प्रमुख देशों में रहा है, परन्तु उसका रूप समय-समय पर बदलता रहा है। आतंकवादी विधियाँ और प्रणालियाँ चाहे भिन्न-भिन्न रही हों परन्तु प्रवृत्ति के रूप में इसका अस्तित्व पहले से है। आज विश्व में क्रान्ति के साधन के रूप में आतंकवादी गतिविधियाँ अधिक सक्रिय है।

आतंकवाद के प्रकार (Types of Terrorism)—आज विश्व में विभिन्न प्रकार की आतंकवादी प्रवृत्तियाँ झलकती है। इन प्रवृत्तियों के मद्देनजर

22 मार्च 1993 के '**द हिन्दुस्तान टाइम्स**' में **महेन्द्र वेद** ने आतंकवाद के पाँच प्रकारों का उल्लेख किया है। जो अग्रलिखित है–

(i) राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद (State Sponsored Terrorism)—जो अधिकांशत: एक कमजोर राज्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में जेहाद या आजादी की लड़ाई के नाम से जो अन्धाधुन्ध आतंकवादी हमलों का सिलसिला जारी है, वह पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा ही प्रायोजित है।

(ii) गुट द्वारा प्रायोजित आतंकवाद (Faction Sponsored Terrorism)—जो एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। इस प्रकार का आतंकवाद राज्य या शासन के विरोध में पृथकतावादी आन्दोलन के एक अंग के रूप में पैदा होता है, जैसे पंजाब में भिंडरवाला गुट का खालिस्तानी आतंकवाद जो कि पंजाब में पृथक् व स्वतन्त्र खालिस्तान की स्थापना करना चाहता है। इसी प्रकार के पृथकतावादी सिद्धान्त पर आधारित श्रीलंका का आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) है।

(iii) अपराध सम्बन्धित आतंकवाद (Crime Related Terrorism)—जो फैलाने के लिए हिंसा को अपना प्रमुख हथियार बनाता है और राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए धन का उपयोग करता है। **दाऊद इब्राहीम** जैसे अण्डर वर्ल्ड सरगनाओं द्वारा संचालित गिरोहों के कारनामे इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(iv) नार्को आतंकवाद (Narco Terrorism)—जो धन के बदलने में मादक द्रव्यों के धन्धे को समर्थन देता है। समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं से पता चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कुख्यात सरगना **ओसामा बिन लादेन** ने मादक पदार्थों की तस्करी से अथाह धन कमाया है।

(v) मुद्दों से प्रेरित आतंकवाद (Issue motivated Terrorism)– जो परमाणु हथियारों पर निषेध, भूमि संघर्षों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में प्राथमिकता की माँग, चुनाव में जीत सुनिश्चित करने आदि मुद्दों से प्रेरित होता है। उदाहरणार्थ, बंगाल का '**नक्सलवादी आतंकवाद**' भूमिहीन श्रमिकों को भूमिपति बनाने के मुद्दे से प्रेरित था। बिहार का '**पीपुल्स वार ग्रुप**' नामक आतंकी संगठन भी बहुत कुछ इसी प्रकार के मुद्दे से प्रेरित है। उसी प्रकार जम्मू-कश्मीर में कुछ आतंकवादी संगठन हिंसा व धमकी की रणनीति अपना कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

Scanned with CamScanner

विश्व में प्रमुख आतंकवादी संगठन (Mazor Terrorist Organisation in World)—आज विश्व के अनेक देशों में कम या अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। इनमें प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं, जैसे–यूरोप के देशों के अन्तर्गत संघीय जर्मन गणराज्य में **'मेनहॉफ'**, फ्रांस में **'ब्रेतने, आर्मी,** इटली में **'ब्रिगेत दोस्से'**, टर्की में **'टर्की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी।** इसके साथ ही अमेरिकी देशों के अन्तर्गत अर्जेण्टाइना में **'यूर्सितो रिवोल्युशनरीदोल प्यूब्लो'**, बोलिविया में **'यूसितोद लिबरेशियोन नेशनल'** और उत्तरी अमेरिका में **'ब्लैक पैंथर'** इत्यादि आतंकवादी संगठन सक्रिय है। अफ्रीकी देशों इथोपिया में **'इरिट्रीयन लिबरेशन फ्रंट'**, एशियाई देश जापान में **'पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन'** एवं भारतीय उपमहाद्वीप के देश श्रीलंका में **'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे)** तथा पाकिस्तान में **'आई.एस.आई.' लश्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मुहम्मद, हरकत-उल-अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन** इत्यादि आतंकवादी संगठन मानवता के विरुद्ध नृशंस कार्यवाही के लिए सक्रिय है। इससे भारत भी अछूता नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव इसके विभिन्न प्रान्तों जैसे–जम्मू-कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, असम, नागालैण्ड, दिल्ली, बिहार इत्यादि पर गंभीर रूप से पड़ रहा है।

आतंकवाद की कार्यप्रणाली (Working Method of Terrorism)—आतंकवादी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के कार्यप्रणाली अपनाते हैं। अत: साधन और कार्यप्रणाली की दृष्टि से आतंकवाद को कई रूपों में देखा जा सकता है। बीसवीं शताब्दी के शुरू में संगठित छापामार आतंकवादी संगठन के रूप में तो थे ही जो अब तक अपने राजनीतिक उद्देश्यों को मनवाने के लिए कार्य में लगे हैं। परन्तु इस शताब्दी के गत दो दशकों में आतंकवाद के नए-नए रूप सामने आए हैं। इनका वर्गीकरण कुछ लोगों ने हवाई किया है और कुछ लोगों ने विशेषकर **डॉ० नन्दकिशोर** ने अपनी शोध पुस्तक **'इन्टरनेशनल टेररिज्म'** में युद्ध-कौशल तथा उपाय की दृष्टि से पाँच प्रकार की आतंकवादी विधियों का वर्णन किया है, जो अग्रलिखित हैं–

1. बलान्नयन (Hijacking)—हाईजैकिंग आतंकवादियों द्वारा किया गया ऐसा कार्य है, जिसमें यातायात के साधनों जैसे जहाजों, ट्रेनों, पानी के जहाजों तथा बसों को (यात्रियों सहित या यात्री विहीन), अपने नियन्त्रण में रखा जाता है, मार्ग बदल कर मनचाही जगह ले जाया जाता है और अपनी माँगों को पूरा करने के लिए सरकार को बाध्य किया जाता है।

2. बन्धक (Hostage-taking)—यह आतंकवादियों द्वारा किया गया ऐसा कार्य है जिसमें किसी स्थान जैसे दूतावास अथवा सरकारी भवनों पर कब्जा

करना और उसमें रहने वाले व्यक्तियों को बन्धक बना कर रखना होता है। अपनी माँगों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन और व्यक्ति को छोड़ा जाता है।

3. अपहरण (Kidnapping)—इसमें आतंकवादी किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को पकड़ते हैं और गिरवी के रूप में किसी गुप्त स्थान में रखते हैं तथा सरकार को अपनी माँगें मनवाने के लिए बाध्य करते हैं। आतंकवादियों की माँगें विभिन्न प्रकार की होती हैं, परन्तु विशेष रूप से धन की माँग करते हैं। कभी-कभी अपनी गिरोह के किसी सदस्य को मुक्त कराने की माँग करते हैं। राजनीतिक माँग तो प्रमुख रूप में रहती ही है।

4. छिप कर हत्या करना (Assassination)—आतंकवादी अपनी हिंसात्मक क्रियाओं में हत्या को अधिक महत्व देते हैं। इससे सरकार को आतंकित करते हैं। किसी महत्त्वपूर्ण सरकारी व्यक्ति को छिपकर और कभी-कभी खुलेआम जनता के बीच में मार डालना इस प्रणाली को प्रमुख पहलू है। राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए हत्या करना आवश्यक मानते हैं। किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या से राज्य और शासन तथा समाज में भी दहशत तथा आतंक फैल जाता है।

5. आक्रमण (Facility attack)—हत्या के अतिरिक्त आतंकवादियों की एक अन्य विधि विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानों जैसे: दूतावास, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि पर आक्रमण करना है। प्रचलित रूप में इसे **फैसिलिटी अटैक (Facility attack)** कहते हैं। बम मारना और अग्निकांड करना आक्रमण का प्रमुख उपाय होता है। इससे भी सरकार को आतंकित किया जाता है।

इन सभी विधाओं से आतंकवादी सत्ता के प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं। इन विधियों को प्रतीक के रूप में समझा जाता है। इनके द्वारा उनका लक्ष्य अपने मनसूबों का प्रचार करना होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वे सरकार से खुले तौर पर युद्ध नहीं कर सकते। इन कार्यों से आतंकवादी अपने विरोधियों को चेतावनी भी देते हैं और सहानुभूति रखने वालों को सूचना भी देते हैं।

विश्व में आतंकवादी गतिविधियाँ (Terroristic Activities in World)—विश्व के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियाँ दिन-प्रतिदिन बलवती होती जा रही है। आज तक आतंकवाद के केवल राष्ट्रीय घटना ही माना गया, जब **11 सितम्बर, 2001** को अमरीका के शहर न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर और वाशिंगटन में पेंटागन पर हुए आतंकी हमलों के कारण आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गया। इस हमले के पीछे **ओसामा बिन लादेन** का मस्तिष्क काम कर था। उसने कतर के टी.वी. चैनल अल जजीरा से जारी

Scanned with CamScanner

वीडियो टेप में वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के सम्बन्ध में कहा—"उनके मौके पर पहुँच जाने और जहाज में सवार होने से ठीक पहले हमने उन्हें योजना की जानकारी दी। एक दल दूसरे को जानता तक नहीं था, टॉवरों की स्थिति और जहाजों के सस्ते के हिसाब से हमने मरने वालों की सम्भावित संख्या का पहले ही अनुमान लगा लिया था। हमारा आंकलन था कि जहाज तीन या चार मंजिल से टकरायेंगे। इस क्षेत्र में अपने अनुभव के आधार पर योजना की सफलता को लेकर मैं पूरी तरह आशान्वित था, मेरी राय थी कि जहाज के ईंधन से उठी आग लोहे के ढाँचे को गला देगी तथा जहाज से टकराने वाली और ऊपर की ही मंजिलें ध्वस्त होंगी, हमने इतनी ही उम्मीद की थी।" उसी टेप में अपने मकसद को बताते हुए **ओसामा बिन लादेन** ने कहा कि, "अल्लाह मुसलमानों, अफगान मुजाहिदीन और उनके साथ दूसरे इस्लामी मुल्कों के लिए लड़ने वालों के साथ है। हम रूसियों से लड़े। उन्हें हमने नहीं, अल्लाह ने हराया, उनका नामोनिशान मिट गया। सीखने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। अपनी फतह को लेकर हम किसी मुगालते में नहीं, अमरीकियों के खिलाफ हमारी लड़ाई रूसियों के खिलाफ लड़ाई से भी बड़ी है। अमरीका का उजड़ा भविष्य हमें साफ दिखायी पड़ रहा है, संयुक्त राज्य की बजाय वह बिखरा राज्य बनकर रह जायेगा और अपने बेटों की लाश ढोकर उन्हें अमरीका ले जाना पड़ेगा। हमारा पहला निशाना अमरीका है और उसके बाद हम भारत और इसराइल को निशाना बनायेंगे" 12 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने अमरीका पर आतंकवादी हमले की निन्दा करने के लिए 1,368वां प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके बाद 28 सितम्बर को सुरक्षा परिषद् ने 1,373वां प्रस्ताव स्वीकृत किया। इस प्रस्ताव में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी से निपटने के लिए व्यापक उपायों की रूपरेखा है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के अलावा, यह भी कहा गया है कि सभी देश आतंकवादियों की कार्यवाहियाँ रोकें तथा ऐसे कामों के लिए किसी को भी आर्थिक सहायता न देने दें। आशंकित आतंकवादियों की सभी वित्तीय परिसम्पत्तियाँ और आर्थिक साधन जब्त कर लें तथा आतंकवादियों को किसी भी प्रकार से सहायता न करें, और न ही आतंकवादियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण होने दें। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इसके लिए वर्तमान समझौतों आदि पर भी अमल किया जाना चाहिए।

यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सातवें अध्याय के अधीन स्वीकृत किया गया था, इसलिए यह सभी राज्यों पर लागू होता है और कानूनी

तौर पर सभी राज्यों को इसका पालन करना चाहिए। इस पर अमल किये जाने की निगरानी रखने के लिए सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्यों की समिति भी बनायी गयी। सभी राज्यों से अनुरोध भी किया गया कि वे 90 दिन के अन्दर-अन्दर इस समिति को बतायें कि उन्होंने इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं? भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव संख्या 1,373 का स्वागत किया है, क्योंकि भारत अनेक वर्षों से सीमा पार से चलायी जा रही आतंकवादी कार्यवाहियों का सामना कर रहा है और भारत ने आतंकवाद का खात्मा करने के लिए संसार का ध्यान दिलाने हेतु वर्षों से प्रयत्न किया है। भारत के विचार में यह प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक सन्धि के बारे में भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत इस प्रस्ताव की व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में भारत अपना राष्ट्रीय प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर रहा है। इन उपायों में वे उपाय भी शामिल हैं, जिनका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के 1,373वें प्रस्ताव में किया गया है।

अमरीका ने इसके लिए **ओसामा बिन लादेन** और अफगानिस्तान के तालिबान मलेशिया को जिम्मेदार मानते हुए अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और अफगानिस्तान से तालिबान मलेशिया शासन को उखाड़ फेंका, लेकिन अमरीका की सेना **ओसामा बिन लादेन** और **मौलाना मोहम्मद उमर** को गिरफ्तार न कर सकी और वे चोरी-छिपे इस समय अमरीका, ब्रिटेन तथा जर्मनी पर आतंकी हमले की साजिश रचते रहते हैं। जो विश्व में मानवता के लिए एक खतरा है।

ठीक उसी तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ स्पेन में हुईं। 11 मार्च, 2004 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें मैड्रिड के आस-पास के स्टेशनों और ट्रेनों में 13 बम रखे गये थे जिनमें से 10 बम कुछ अन्तराल में फट गये। इन विस्फोटों में मृतकों की संख्या 200 तक पहुँच गयी और 1500 से अधिक घायल हो गये। स्पेन के गृहमंत्री **एंजेल एस्वेस** ने बास्क अलगाववादी संगठन ई.टी.ए. को दोषी ठहराते हुए कहा कि, "ई.टी.ए. स्पेन में किसी बड़े हमले की कोशिश में था, दुर्भाग्य से आज वह अपने मकसद में कामयाब हो गया।" जबकि ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी संगठन अल कायदा ने इसे इराकी हमले में स्पेन के द्वारा अमरीका का साथ देने के कारण बदला बताते हुए इसकी जिम्मेदारी ली है।' लन्दन स्थित एक दैनिक अल-कुद्स अल-अरबी को प्राप्त एक पत्र में अल

Scanned with CamScanner

कायदा के आत्मघाती दस्ते अबू हफ्स अल-मसरी बिग्रेड ने नरसंहार का जिम्मा लेते हुए कहा है कि यह तो यूरोप पर हमलों की एक शुरुआत भर है। इराक पर हमलों में अमरीका का साथ देने की वजह से स्पेन को यह सजा दी गयी है। जिसका दर्द उसे सालों-साल याद रहेगा। पत्र में कहा गया है कि मैड्रिड में हुए हमले इस्लाम के खिलाफ साथ देने वालों को करारा सबक है और उन सभी देशों का इससे भी ज्यादा खौफनाक हमलों से जूझना पड़ेगा जो इस्लाम विरोधियों के पाले में खड़े होंगे। उल्लेखनीय है कि स्पेनिश प्रधानमंत्री **जोस मारिया अजनार** ने इराक के खिलाफ अमरीकी मुहिम में सक्रिय साथ दिया था। अन्तर्राष्ट्रीय सेना में स्पेन के 1300 सैनिकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। दूसरी तरफ इन विस्फोटों की जिम्मेदारी बास्क अलगाववादी संगठन के इ.टी.ए. ने भी ली है। स्पेन के विदेशमंत्री **एना पालाशियो** ने भी इसी संगठन पर अपना शक जातते हुए कहा है कि 'हमलों के शक की सुई पूरी तरह से इ.टी.ए. की ओर घूम रही है। इन हमलों ने पूरी दुनिया को दहला दिया।' संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम देशों ने इन हमलों की तीखी निन्दा की है। आज अफसोस इस बात की हो रही है कि मानव-मानव से ही असुरक्षित है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् समेत विश्व समुदाय ने मैड्रिड में हुए ट्रेन विस्फोटों की कड़े शब्दों में निन्दा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव **कोफी अन्नान** ने इन विस्फोटों की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा है, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं है और इसके जिम्मेदारों को इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए।'' हांगकांग से एएफपी की एक खबर के मुताबिक अनेक देशों ने इन विस्फोटों की कड़े शब्दों में निन्दा की है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री **जॉन हॉवर्ड** ने इस घटना की निन्दा करते हुए कहा है, ''इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।''

हाल ही में भारत के हरियाणा राज्य में समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट से बहुत लोग हताहत हुए। इस तरह का विश्व के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियाँ एक सामान्य घटना बन गयी है। जो मानवता के हित में उचित नहीं है।

भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ (Terroristic Activities in India)—भारत में अनेक समस्याएँ हैं, जिनमें आतंकवाद की समस्या सर्वोपरि है। आज रेडियो, दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों में आतंकवाद की खबरें छाई रहती है। सरकार के लोग तथा विपक्षी भी अपने-अपने बयान आतंकवादी गतिविधि के बारे में जारी करते रहते हैं। विदेशी ताकतों पर दोष लगाए जाते हैं, नीतियों

की घोषणा जारी की जाती रहती है। नियन्त्रण के लिए प्रयास किया जाता है, परन्तु आतंकवाद दिन-प्रतिदिन गहराता जाता है। स्वतन्त्र भारत में आतंकवाद नयी घटना नहीं है। यह आतंकवाद नक्सलवादी आन्दोलन तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के विद्रोह का अभिन्न भाग है। वर्त्तमान में भारतीय आतंकवाद का सम्बन्ध अब अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ गया है। वर्त्तमान भारत में आतंकवाद के अलग-अलग स्वरूप दृष्टिगत हो रहे हैं। उनमें प्रमुख हैं–

1. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में आतंकवाद—इस क्षेत्र में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, आसाम और त्रिपुरा आते हैं। यह क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण विद्रोही कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त है। इस क्षेत्र की काफी उपेक्षा हुई है। इसमें बंगलादेश तथा अन्य क्षेत्रों से लोग आकर बसने लगे। यह यहाँ की बड़ी समस्या थी और अब भी है। चीन और पाकिस्तान से लोगों ने यहाँ आकर यहाँ के निवासियों में अलगाववाद की भावना उत्पन्न की। अमरीका के मिशनरियों ने भी इनको उकसाने का काम किया। चीन तथा बंगलादेश ने आतंकवादियों को शरण, हथियार, धन तथा ट्रेनिंग देने का काम किया तथा देश में अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिशें की गई।

नागालैंड—नागालैंड आतंकवाद का पुराना स्थान है, परन्तु अब पहले से अपेक्षाकृत शान्त है। यहाँ राजद्रोही कार्य अब इन्डो-वर्मा सीमा तक सीमित है। 'नेशनल सोसलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालैंड' (NSCN) राज्य का आतंकवादी समूह है। यह न केवल दूसरे राज्यों के आतंकवादियों, विशेषकर मिजोरम और त्रिपुरा के आतंकवादियों की सहायता ट्रेनिंग, शरण और धन देकर कर रहा है, वरन् मणीपुर में अपनी आतंकवादी क्रियाएँ बढ़ा रहा है।

त्रिपुरा—त्रिपुरा में हिंसात्मक उपद्रव का सूत्रपात तब हुआ जब 1949 में इसका विलयन भारत में हुआ। यह हिंसात्मक कार्य तब संग्रक (Sangrak) नामक गुप्त समूह द्वारा किया गया। 1967 में यह समूह पुनः उभड़ा, परन्तु शीघ्र ही विलीन हो गया, क्योंकि सेना द्वारा की गई कार्यवाही से इसको तहस-नहस कर दिया गया। संग्रक की समाप्ति पर 1971 में **'त्रिपुरा सेना'** तथा 1978 में **'ट्राइबल नेशनल वालन्टियर'** का गठन हुआ। टी०एन०वी० ने जून 1980 में एक ऐसा से गठन बनाया जिसने राज्य के इतर निवासियों को मार डालने और आतंकित करने का काम किया। इसके आतंकवादियों ने जहाँ चाहा वहाँ हत्याएँ की। 1982 में इन्होंने एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके 18 राइफलें आदि ले लीं और उसी वर्ष दिसम्बर में पंचायतों के डायरेक्टर पर हमला किया। 1982 में एक दूसरे आतंकवादी समूह का निर्माण हुआ। वह है—**'ऑल त्रिपुरा**

Scanned with CamScanner

पीपुल्स लिबरेशन आरगेनाइजेशन' (ATPLO)। इन आतंकवादियों का काम अपनी आतंकवादी क्रियाओं द्वारा राज्य की जनता में भय और आतंक फैलाना है।

मिजोरम—मणिपुर में 1968 से जब **'रिवोल्यूशनरी गवर्नमेन्ट ऑफ मणिपुर'** (RGM) का गठन हुआ और तब से कठिनाइयाँ शुरू हो गयीं। 1976 में **'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी'** तथा **'पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक'** का गठन हुआ। इन समूहों के लोग चीन के द्वारा प्रशिक्षित किए गए इसलिए मणिपुर का 'PLA' समूह अधिक सक्रिय रहा है।

असम—असम में आतंकवाद विदेशियों के मामले को लेकर 1979 में बढ़ी है। यहाँ के **उल्फा** और **बोडो** आतंकवादी ने 1980 के बाद तेजी से पाँव फैलाएँ हैं। प्रारंभ में यहाँ संघर्ष शान्तिपूर्ण था, परन्तु धीरे-धीरे हिंसात्मक घटनाएँ बढ़ने लगीं। अनेक स्थानों पर जैसे: रेलवे लाइन, तेल की पाइप लाइन, रेलवे स्टेशनों पर बम गिराये गये। 6 अप्रैल 1981 को अपर आसाम डिवीजन के कमिश्नर तथा अन्य प्रमुख लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। प्रथम बार मार्च 1983 में **'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ आसाम'** (PLAA) नामक आतंकवादी समूह का उद्‌भव हुआ। इसके प्रति राजीव गाँधी की सरकार ने राजनीतिक समस्या का हल ढूँढ़ा, परन्तु 'बोडो' समस्या को लेकर **'ऑल बोडो स्टूडेन्ट्स यूनियन'** (ABSU) नाम के संगठन ने आतंकवादी क्रियाएँ कीं और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ आसाम' (ULFA) द्वारा इतनी विकट समस्या और आतंक उत्पन्न किया कि 28 नवम्बर 1990 को वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में 1980 के दशक के मध्य तक आतंकवाद का व्यापक प्रसार रहा। 1980 के पहले तो आतंकवादियों के शिकार पुलिस, अर्द्ध सैनिक बल तथा सेना के जवान थे, परन्तु अब आतंकवादी सेना बल तथा सामान्य जनता में बिना भेद किए ही हत्या और विनाश का काम करते हैं। यह काम विशेष रूप से आसाम और त्रिपुरा में होता है। इन आतंकवादियों का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि इन्होंने अपनी आतंकवादी क्रियाओं का स्थान नई दिल्ली को बना दिया। 23 मई 1982 को मणिपुर के पी०एल०ए० समूह ने पालिका बाजार में विस्फोटक का उपयोग किया, तब से बम-काण्ड के अनेक घटनाएँ बार-बार होते रहे। 28 फरवरी 1983 को मणिपुर के मुख्यमन्त्री के पुत्र को मणिपुर हाउस, नई दिल्ली में बन्धक बनाया गया और मुक्ति के लिए 50,000 रुपये तथा मुख्यमन्त्री के इस्तीफे की माँग की गयी। उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के आतंकवादियों की क्रियाओं से यह संकेत मिलता है कि उनमें और भी तीव्रता आ रही है और वे

PIRA तथा लैटिन अमेरिकन आतंकवादियों की आतंकवादी पद्धतियों को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। ये सामान्य जनता को तो आतंकित कर ही रहे थे, साथ ही प्रचार के माध्यम को भी आकर्षित कर रहे थे। राजीव गाँधी सरकार के सक्रिय प्रयत्न से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आतंकवादियों को सेना और राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा प्रभावकारी ढंग से दमित किया गया, परन्तु शेष आतंकवादी तत्त्व विशेष रूप से त्रिपुरा और मणिपुर में सक्रिय हैं, क्योंकि उनको बंग्लादेश तथा बर्मा की सीमा में शरण मिल जाती है।

2. नक्सलवादी आतंकवाद—इसका जन्म स्थान बंगाल है। उसने अपना सिर 1967 में उठाना शुरू किया। तत्पश्चात् चीन का वरदान प्राप्त कर सन् 1969 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ ही अपने पैर पसारने लगा। नक्सलवादी नेता **चारु मजूमदार** ने घोषणा किया है, "चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है।" बंगाल से नक्सलवादी आन्दोलन भूमिहीन श्रमिकों को उनका हक दिलाने के लिए बिहार में फैला। बिहार में आज भी सक्रिय आतंकी संगठन **'पीपुल्स वार ग्रुप'** वास्तव में नक्सलवादी आतंकवादी की ही एक शाखा के रूप में समझा जा सकता है यद्यपि नक्सलवादी आतंकवाद को अधिक जनसमर्थन प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी युवा पीढ़ी जिसमें पुरुष और स्त्रियाँ दोनों शामिल थे, को प्रभावित किया और उन लोगों ने हिंसा व धमकी की रणनीति को अपनाते हुए अनेक जमींदारों, साहूकारों और पुलिस व सैनिक अधिकारियों की अन्धाधुन्ध हत्या एवं सम्पत्ति की लूटपाट की। एक सर्वेक्षण में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, 1969 से लेकर 1972 के बीच नक्सलवादी आतंकवादियों ने 2,711 लोगों को जान से मारा, 715 जमींदारों व साहूकारों के धन को लूटा, 21 बैंकों को लूटने की योजना को अंजाम दिया तथा 9,987 अन्य प्रकार की हिंसा के कारनामे किये। बिहार में 1988 से लेकर 2006 तक स्थिति निरन्तर खराब होती गयी और वर्ग-संघर्ष व जातीय संघर्ष के परिणामस्वरूप नरसंहार की घटनाएँ तेजी से बढ़ती गयीं। मई 2002 को राजधानी पटना की सीमा में आने वाले भदौरा गाँव में आतंकी संगठन पीपुल्स वार ग्रुप के सक्रिय सदस्यों ने दो महिला व दो बच्चों सहित छह लोगों की सामूहिक हत्या कर दी और अभी भी यह घटना जारी है। 1972 के पश्चात् नक्सलवादी आतंकवाद बंगाल और बिहार की सीमाओं को पार करके आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और त्रिपुरा में भी फैल गया। यहाँ आज भी विस्फोट, हत्या, लूटपाट, अपहरण आदि की घटनाएँ घटित हो रही है। सरकारी स्तर पर इन्हें रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु आशानुरूप सफलता नहीं मिल पा रही है।

Scanned with CamScanner

3. पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद—भारत में आतंकवाद के इतिहास में पंजाब और उसकी समस्या का विशिष्ट स्थान है। 1980 के दशक में पंजाब की समस्या आतंकवाद से इस प्रकार जुड़ गई कि पंजाब नाम आतंकवाद का पर्याय बन गया है। दस वर्षों में ऐसा कोई दिन नहीं व्यतीत हुआ, जिस दिन दस-बीस व्यक्ति न मारे गये हों। बसों के निरीह यात्री, बाजारों में सामान्य जनता, दूकानदार, सेना के सिपाही, शासन के व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति इत्यादि आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं। यह स्पष्ट है कि पंजाब का आतंकवाद सिक्ख जाति के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लिप्सा के कारण उत्पन्न हुआ है और इसके मूल रूप में पंजाब समस्या की जड़ धर्म से जुड़ी हुई है तथा इसी के कारण उत्पन्न हुआ है। इसी के कारण अलगाववाद की प्रवृत्ति जागी है। इस प्रकार की प्रवृत्ति 1970 के दशक में विश्व में कई देशों में भी देखी गयी है। उदाहरण के लिए ईरान में खुमैनी का लौटकर आना और लेबनान में शिया धर्मवाद का उभड़ना। भारत में पंजाब राज्य में भिंडरवाले का उद्भव इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। कुछ लोगों का विचार है कि धार्मिक नेताओं की राजनीतिक लालसा ने उन्हें हिंसा के साधन को उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे कि उनके अनुगामी सरलता से उत्प्रेरित हो सकें। पंजाब में आतंकवादियों ने धार्मिकता से उत्साहित होकर संगठित रूप में आतंकवादी कार्य किया है। सिक्ख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गयी थी। वह एक हिन्दू थे और उनका लक्ष्य इस धर्म की स्थापना में यह था कि एक जाति-विहीन समाज की स्थापना की जाय, परन्तु प्रारम्भ से ही सिक्खों ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हिन्दू धर्म से अपने को अलग समझना शुरू किया। उनकी इस भावना में अंग्रेजी शासन ने पर्याप्त सहयोग दिया। उनकी 'बाँटों और राज्य करो' की नीति सिक्खों पर लागू हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अल्पसंख्यक की सुविधाएँ दीं। ऐसा करके उन्होंने इनमें अलगाववाद की भावना उत्पन्न कर दी। इसके परिणामस्वरूप कुछ साम्प्रदायिक सिक्ख नेताओं ने स्वतन्त्रता के पूर्व एक अलग सिक्ख भूमि की माँग की थी। मार्च 1946 में अकाली दल ने इस उद्देश्य का एक प्रस्ताव पास कर दिया, परन्तु यह प्रस्ताव कुछ राष्ट्रवादी सिक्खों द्वारा अमान्य कर दिया गया; क्योंकि उनका यह विचार था कि सिक्ख भारत के अभिन्न अंग हैं। फिर भी अकालियों का प्रयास इस अलगाव की प्रवृत्ति को लेकर चलता ही रहा है। अन्त में 1966 में पंजाब का विभाजन (पंजाब और हरियाणा) कर दिया गया। इससे भी सिक्खों की माँग पूरी नहीं हुई। 1973 में अकाली दल ने पुनः एक

विवादास्पद 'आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव' पास कर दिया। इसके अनुसार उन्होंने एक अलग सिक्ख राष्ट्र की माँग की। यह माँग अकाली दल के नेताओं की शक्ति और सत्ता की तीव्र भूख को प्रदर्शित करती है। पंजाब समस्या अधिक जटिल और खराब तब हो गई, जब अकाली दल के एक नेता डॉ० जगजीत सिंह चौहान ने उन सिक्खों के बीच कड़वाहट घोल दी जो भारत के बाहर रहते थे। 1971 में उन्होंने 'खालिस्तान' का नारा लगाया। 12 अप्रैल 1980 में तो उन्होंने 'खालिस्तान' के नेशनल कौन्सिल के निर्माण की घोषणा भी कर दी। 1980-81 में तीन ऐसी घटनायें हुई, जिनसे पंजाब के इतिहास में नया मोड़ आया। एक, बाबा गुरुवचन सिंह की दिल्ली में (अप्रैल 1980) हत्या कर दी गयी। दूसरे, पंजाब में लाला जगत नारायण की हत्या (सितम्बर 1981) कर दी गयी और तीसरी घटना है संत जनरैल सिंह भिंडरवाले की गिरफ्तारी। भिंडरवाले का प्रकाश में आ जाना और दूसरे 'खालिस्तान' के लिए आतंकवादी आन्दोलन का उत्पन्न होना। सर्वप्रथम भिंडरवाले के अनुयायियों ने उन्हें छुड़ाने के लिए आतंकवादी अभियान शुरू कर दिया। आतंकवादियों द्वारा चार हिन्दू मार डाले गये और अन्य बारह घायल हो गये और 29 सितम्बर को एक भारतीय हवाई जहाज का लाहौर पंजाब में बलान्नयन किया गया। कैद से छूटने के बाद भिंडरावाले ने 'स्वर्ण मन्दिर' को अपना सुरक्षित स्थान चुना। फिर वहाँ से 'आतंक का राज्य' शुरू किया। यह सूचना मिली कि वहाँ से आतंक का शिकार होने वालों की एक सूची बनी जिसमें हिन्दू, निरंकारी और कुछ ऐसे सिक्ख भी थे; जो उनकी सत्ता पर प्रश्न-चिह्न लगाते थे। आतंक की क्रियाओं की वृद्धि को देखते हुए 6 अक्टूबर 1983 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, परन्तु घटनायें बन्द होने के बजाय बढ़ती गयीं। यहाँ तक कि 1983 से जून 1984 तक चार सौ से अधिक हत्यायें हुई और लगभग दो हजार व्यक्ति घायल किये गये। अधिक घटनायें वैसे तो पंजाब में हुई और कुछ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में हुई। इन घटनाओं में बम काण्ड, लूट तथा हत्यायें सम्मिलित हैं; जो मानवता के विरुद्ध नृशंस कार्यवाही है।

पंजाब के आतंकवादी समूह विभिन्न नामों से जाने जाते हैं जैसे—भिन्डरवाले समूह, ऑल इण्डिया सिक्ख स्टुडेन्ट फेडेरेशन (नेता अमरीक सिंह), अखण्ड कीर्तनी जत्था (बीबी अमरजीत कौर), बब्बर खालसा (शाखा कीर्तनी जत्था), अकाली फेडरेशन (कनवार सिंह), दल खालसा (सुखविन्दर सिंह), यूथ अकाली दल (प्रेम सिंह चन्दुमाजूरा), नेशनल कौंसिल ऑफ खालिस्तान (बलवीर सिंह सन्धू) इत्यादि।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त सभी दलों का आश्रय स्वर्ण मन्दिर था। यहाँ से आतंकवादियों को गुरिल्ला युद्ध करने और आतंक फैलाने तथा सुरक्षित बने रहने की सुविधा मिली। जब आतंकवादी घटनाएँ चरम् सीमा पर पहुँच गयीं, तब सरकार ने स्वर्ण मन्दिर से आतंकवादियों के सफाये का निश्चय किया। 3 जून 1984 को सेना द्वारा इनकी सफाई का अभियान चला। सेना द्वारा स्वर्ण मन्दिर से आतंकवादियों की सफाई को **'आपरेशन ब्ल्यू स्टार'** के नाम से जाना गया। इस आक्रमण के बाद यह समझा गया कि अब पंजाब में आतंकवादियों के आन्दोलन को समाप्त कर दिया गया, परन्तु बात ऐसी नहीं थी। आतंकवादी पुनः अपना कार्य शुरू करने लगे; परन्तु उनकी गति धीमी थी। पुनः बलात्नयन, बन्धक तथा अपहरण की घटनाएँ होने लगीं। इस आक्रमण की कीमत देश को भारी चुकाना पड़ा। प्रधानमंत्री **श्रीमती इन्दिरा गाँधी** को उनके ही विश्वसनीय रक्षकों ने 31 अक्तूबर, 1984 को, उनके निवासीय कार्यालय सफदर जंग रोड नई दिल्ली में मार डाला। पुनः देश आतंक और हिंसा की बाढ़ में बह गया। **श्री राजीव गाँधी** के प्रधानमन्त्री बनने के बाद समस्या का हल ढूँढने के लिए अकाली दल से सरकार का समझौता हुआ, परन्तु इसके बाद भी आतंकवाद ने अपना सर उठाया और अनेक दर्दनाक हत्यायें होती रहीं है फिर भी समस्या का हल ढूँढ़ना जारी रहा। 25 सितम्बर, 1985 को पंजाब में चुनाव हुआ। **एस० एस० बरनाला** जो अकाली दल के नेता थे मुख्यमन्त्री बने। इनके शासन काल में भी आतंकवादी क्रियायें बढ़ती गयीं और आतंकवादी हिंसा में एक हजार से अधिक व्यक्ति मारे गये। पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों ने आतंकवादी अभियान चलाया। अनेक आतंकवादी या तो मारे गये या पकड़े गये। फिर भी आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली हत्यायें बन्द नहीं हुई। 1987 में जबकि आतंकवाद की गतिविधियाँ बढ़ती ही गयीं, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने पर पुनः 6 माह के लिए यह बढ़ा दी गयी। 17 नवम्बर 1990 को जालन्धर में सभी संगठनों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक बैठक वृहद् स्तर पर 26 नवम्बर 1990 को आनन्दपुर साहब में की जाय। सरकार ने इस पर रोक लगाते हुए अकाली दल के प्रमुख **सिमरनजीत सिंह मान** सहित अनेक संगठनों के नेताओं की गिरफ्तारी की गई। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जालन्धर की एक कालोनी में आतंकवादियों ने अंधाधुन्ध गोलियाँ चलायीं, जिसमें चौदह व्यक्ति मारे गये। एक एस० पी० तथा दो पुलिस कर्मचारियों की भी हत्या की गयी। एक वर्ष पूर्व पंजाब में अंधकार-ही-अंधकार दिखाई दे रहा था, लेकिन कांग्रेस (ई) की **बेअंत सिंह** सरकार ने अल्प समय में ही

आतंकवाद के सारे ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया। इसमें प्रख्यात पुलिस प्रमुख **श्री के०पी०एस० गिल** का सरकार द्वारा 1993-1994 में अपनाये गये उपायों व सटीक रणनीति के फलस्वरूप पंजाब में आतंकवाद समाप्त हो गया। पर अब समाचार यह भी है कि कौंसिल ऑफ खालिस्तान के स्वयंभू राष्ट्रपति **गुरमीत सिंह औलख** ने 27 मार्च, 2002 को वाशिंगटन (अमरीका) में आतंकी सरगनाओं की एक बैठक आयोजित कर पंजाब में आतंकवाद की हिमायत करते हुए विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय (सिख, मुसलमान व ईसाई) के लोगों को हिन्दुओं के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा है और एक योजना के तहत पंजाब में सन् 2008 तक पूर्णरूप में खालिस्तान की स्थापना करने की घोषणा की है, जो भारत की एकता और अखण्डता पर कुठाराघात है।

4. 'लिट्टे' द्वारा संचालित आतंकवाद—लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) की गतिविधियाँ भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के लिए बराबर सिरदर्द बना हुआ है। इसके सर्वोच्च कमाण्डर **वेलुपिल्लई प्रभाकरण** हैं। श्रीलंका के इस आतंकवादी संगठन को पूरे विश्व के लोग मानवता के शत्रु के रूप में देखते हैं। इस आतंकवादी संगठन द्वारा संचालित हिंसा केवल श्रीलंका और भारत के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए चुनौती है और यही कारण है कि भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों ने इस पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। प्रभाकरण एक खूंखार आतंकवादी है। इसके साथियों (लिट्टे) ने श्रीलंका के एक प्रधानमंत्री समेत अनेक वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की हत्या की है। लिट्टे द्वारा संचालित हिंसा की आग में हजारों सैनिक, निर्दोष नागरिक, बूढ़े बच्चे व महिलाएँ जल कर मर गये हैं और अरबों की सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हुई है। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी की जो हत्या आत्मघाती महिला दस्ता द्वारा की गयी थी वह भी प्रभकरण या लिट्टे द्वारा रचे गये षड्यन्त्र का ही परिणाम थी। भारत की दृष्टि से **प्रभाकरण** एक आतंकवादी है और **श्री राजीव गाँधी** हत्याकाण्ड में वाँछित है। आज भी लिट्टे के द्वारा समुद्री जहाजों का अपहरण कर लेना आम बात हो गई है। इस तरह की प्रवृत्ति आतंकवादी गतिविधियों का ही परिचायक है।

5. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद – जम्मू-कश्मीर में कई वर्षों से इस्लामी आतंकवादी गतिविधियाँ सक्रिय है। जो हिंसा और विनाश लीला का ताण्डव मचाने वाला आतंकवाद बड़ा विभत्स एवं खतरनाक स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ अनेक आतंकवादी संगठन हैं जैसे- जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट (JKLF), जम्मू तथा कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रन्ट (JKSLF),

Scanned with CamScanner

जमायते-इ-इस्लामी, हिज-बुल मुजाहद्दीन, महाजा-ए-आजादी, इस्लामिक स्टूडेन्ट्स लीग (ISL), पीपुल्स लीग (PL) तथा इस्लामिक तुलबा (IJT)। ये सभी संगठन राज्य में विनाश और आतंक का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन, एकता तथा संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और यें शांतिपूर्ण वातावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

दैनिक जागरण के मुख्य सम्पादक **श्री नरेन्द्र मोहन** ने अपने एक लेख **'इस्लामी आतंकवाद से मुँह चुराती भारतीय राजनीति'** में लिखा है- ''अब इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इस्लामी आतंकवाद विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। यद्यपि इस आतंकवाद को विश्व के अनेक राष्ट्रों का सीधा समर्थन प्राप्त है, फिर भी विश्व के किसी भी मंच से इस्लामी आतंकवाद और कट्टरवादियों की ही देन हैं वर्तमान में विश्व में अनेक ऐसे इस्लामी संगठन हैं जो इस्लाम खतरे में है का नारा लगाते हैं और इस्लाम के तथाकथित शत्रुओं को समाप्त करने के लिए जेहादी आन्दोलन छेड़े हुए हैं।'' हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री मुशीरउल हक तथा उनके व्यक्तिगत सचिव की हत्या, और एच. एम. टी. के जनरल मैनेजर श्री एच. एल. खेरा की भी हत्या की गयी। अन्य आतंकवादी कार्यो को देखते हुये जम्मू कश्मीर सरकार ने इन संगठनों पर 16 अप्रैल 1990 को रोक लगा दी। फिर भी मानवता के विरूद्ध अपने गलत मंसूबे का प्रयोग कर रहे है।

अक्टूबर 1993 को श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में आतंकवादियों का कब्जा, 1999 में आई. सी. 814 विमान का अपहरण, 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर हमला, 1 अक्टूबर, 2001 को जम्मू-कश्मीर विधान सभा के बाहर विस्फोट, 3 नवम्बर, 2001 को दक्षिण दिल्ली के शॉपिंग कॉम्पलैक्स अंसल प्लाजा में हमला, मई 2002 को जम्मू के कालूचक में आतंकवादी हमला, 24 सितम्बर, 2002 को गुजरात के गाँधीनगर के अक्षरधाम मन्दिर में हमला, 25 अगस्त, 2003 को मुम्बई के ताज होटल के सामने और सुम्बा देवी मन्दिर के पास झावेरी बाजार में हुए दो शक्तिशाली विस्फोट तथा जनवरी 2007 में हरियाणा में समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट इन आतंकवादी कार्यवाहियों के ही उदाहरण है । आज आतंकवादी संगठनों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है पर वे विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में कहर बरसा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के सरगना **ओसामा बिन लादेन** का कुख्यात आतंकी संगठन अल कायदा के अतिरिक्त लश्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मौहम्मद, हिजबुल मुजाहिदनी आदि आतंकी संगठन इस राज्य में सक्रिय हैं। हालांकि भारत में अभी अल कायदा की

उपस्थिति बहुत बड़े स्तर पर सामने नहीं आयी है फिर भी वह अपने पैर फैला रहा है इसीलिए केन्द्र सकरार ने ओसामा बिन लादेन के 'अलकायदा' संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उसे पोटा के तहत प्रतिबन्धित कर दिया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद का खुला राजनीतिक और आर्थिक समर्थन देता रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि नियन्त्रण रेखा पर संघर्ष बना रहे। इसके पीछे पाकिस्तान के शासकों का यह मनोविज्ञान रहा है कि इसके माध्यम से उनके देश में राजनीतिक दबावों और विसंगतियों से छुटकारा मिल जायेगा। इसके लिए वह विभिन्न संघर्षो, जघन्य हत्याकाण्डों और वीभत्स आतंकवादी गतिविधियों को संचालन करता आया हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर अनेक जघन्य हत्याएँ करा चुका है। हजारों सैनिक भी मौत की नींद में सो चुके हैं वह निरन्तर आतंकवादी गतिविधियों को अब भी जारी रखे हुए है। जैसे कि दीनानाथ मिश्र के अनुसार, **''सारी दुनिया में एक अरब से भी अधिक मुसलमान हैं। करीब पचास मुस्लिम देश हैं। अधिसंख्य मुस्लिम देशों में भी कट्टरतावादी इस्लामिक शक्तियों की गतिविधियाँ सामाजिक अशान्ति, असन्तोष और संघर्ष का कारण बन रही हैं। अनेक सरकारें, यहाँ तक कि अनेक इस्लामिक सरकारें कट्टरतावादी इस्लाम की समस्या से जूझ रही हैं। इनमें टर्की और इण्डोनेशिया जैसे देश तो हैं ही, खाड़ी के देश भी हैं और भारत के पड़ोस में पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे देश भी है।''**

आतंकवाद के दुष्परिणाम (Evil consequence of Terrorism)

आतंकवाद के निम्नलिखित दुष्परिणामों का उल्लेख किया जा सकता है-

(i) आतंकवाद सम्पूर्ण मानवीय सभ्यता एवं मानवोचित गुणों जैसे: दयाभाव, सहानुभूति, सुख-शांति, सहयोग इत्यादि को नष्ट करता है।

(ii) आतंकवाद आम लोगों में भय और आतंक फैलाता है, जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना पनपती है।

(iii) आतंकवाद देश की प्रगतिशीलता की सारी संभावनाओं को नष्ट कर देती है देश की प्रगतिशीलता की सारी संभावनाओं को नष्ट कर देती है। देश एक कमजोर राष्ट्र के रूप में परिलक्षित होने लगता है।

(iv) आतंकवाद से देश के सैनिक और पुलिस कर्मी मारे जाते हैं तथा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

Scanned with CamScanner

(v) आतंकवाद विश्व शांति एवं समृद्धि के लिए खतरा है, क्योंकि वैश्विक स्तर के पर्यटन उद्योग बिल्कुल चौपट हो जाता है। आतंकवादियों के भय से पर्यटकों का आना-जाना बंद हो जाता है। इसके साथ-साथ मासूम बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं के प्रति दया-भाव को तिलांजलि देकर मौत के आग में धकेल देते है, जिससे असंख्य परिवार उजड़ जाते हैं ।

आतंकवाद समाप्ति के सुझाव (Measures to remove Terrorism)

आतंकवादी गतिविधियाँ वैश्विक समाज में बहुत तेजी से फैल रहे है, जो पूरी मानवता के लिए भय व त्रास का कारण बना हुआ है। अत: आतंकवाद की गतिविधियों को देखकर हम सभी का महत्वपूर्ण कर्त्तव्य बनता है कि विश्व-बन्धुत्व की भावना जागृत करके इसे समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया जाय। इसके लिए वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं-

(i) प्रत्येक देश के नागरिकों को राजनीति की मुख्य धारा से परिचित कराना चाहिए । जिससे प्रत्येक राष्ट्र के राजनीतिक व्यवस्था में रचनात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इससे नागरिक अपने देश के प्रति समर्पित होंगे, जिससे देश के विरूद्ध हो रहे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उचित कदम बढ़ायेगें।

(ii) वैश्विक समाज में समरसता और मानवतावाद की स्थापना के लिए प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों को कर्त्तव्यनिष्ठ होकर राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए।

(iii) विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों के संसदों और विधानमंडलों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्पष्ट तथा प्रभावशाली आचार संहिता का बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे एक-दूसरे राष्ट्रों के मध्य मैत्री भाव का विकास हो सकेगा।

(iv) धनिक और उदार वृत्ति के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सर्वत्र ही स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, अस्पताल, मठ, मन्दिर आदि परोपकार की भावनाओं से बनवाने चाहिए। धनिकों को निर्बलों की तथा विकसित राष्ट्रों की तन, मन, धन से सहायता करनी चाहिए, वसुधैव कुटुम्बकम् का मूलमंत्र भी इसी कथन की दुहाई देता है।

(v) अपने राष्ट्र की सुरक्षा के सवाल पर किसी को दुनिया की किसी भी ताकत के दबाव में नहीं आना चाहिए। सभी देशवासियों को अपने-अपने देश की एकता और अखण्डता को नष्ट करनेवाले किसी भी घातक तत्त्व को अपनी भूमि पर नहीं पनपने देना चाहिए अन्यथा इसके दुष्परिणाम उसे भी भुगतने पड़

सकते हैं। पाकिस्तान, अमरीका और अफगानिस्तान इस कथन के सबसे पुष्ट प्रमाण है।

(vi) प्रत्येक देश के वासियों को स्वावलम्बी, सुखी और समृद्ध बने रहने के लिए गुलामी की मानसिकता का परित्याग कर देना चाहिए। अपनी भाषा, वेशभूषा और संस्कृति को निखरा हुआ देखने के लिए स्वयं को दूसरे राष्ट्रों से आयातित प्रदूषित वातावरण से सुरक्षित बनाये रखना चाहिए, कहा भी गया है- 'परधर्मो भयावह।'

(vii) धूप, हवा, पानी आदि सभी प्राकृतिक सम्पदाओं का उपयोग सभी अमीर और गरीब समान रूप से कर सकें इसके लिए जनजागृति लाना और जनसंख्या वृद्धि में रोक लगाना नितान्त आवश्यक बन गया है। श्रमिक वर्ग को सर्वत्र उचित सम्मान और प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए।

(viii) सभी राष्ट्रों में अधिकांश लोग साक्षर, विद्वान, सूझ-बूझ के धनी तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हों, तो निश्चित रूप से प्रत्येक राष्ट्र समान रूप से प्रगति कर सकता है।

(ix) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक प्रगति के साथ ही साथ प्रत्येक राष्ट्र को नैतिक क्षेत्र में भी प्रगति करनी चाहिए तथा उसकी रक्षा हेतु उचित मानदण्ड अपनाने चाहिए ।

(x) अनुशासनबद्ध रहते हुए उज्ज्वल चरित्र की रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र के निवासियों का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए, इसके अभाव में राष्ट्रीय उत्थान हो ही नहीं सकता।

(xi) वैश्विक समाज के जिन राष्ट्रों में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ तथा अंधविश्वास व्याप्त है वहाँ का समाज संकीर्ण मानसिकता के शिकार होते हैं। अत: इस राष्ट्र में व्याप्त धर्मान्धता, अंधविश्वास, कुप्रथाएँ, निरक्षरता, कट्टरवादिता, कुव्यवस्थाएँ इत्यादि विघटनकारी जैसे तत्वों का समूल उन्मूलन आवश्यक है तभी कोई भी राष्ट्र आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त न होकर विकास के पथ पर अग्रसर होंगे।

निष्कर्ष (Conclusion)

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद आधुनिक विश्व की देन है। इसके लिए अतिवादियों, उग्रवादियों, कट्टरवादियों, आर्तोकियों इत्यादि के लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि इसके लिए उत्तरदायी कारण, निरक्षरता, अंधविश्वास, कुप्रथाएँ, गरीबी और कुव्यवस्थाएँ हैं। अत: वैश्विक समाज आतंकवाद के उन्मूलन करने के लिए

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए राज्यों एवं विश्व समुदाय के द्वारा उचित कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत भावना को किसी भी रूप में ठेस नहीं पहुँचे। जब ऐसे कानून बनाये जाएँगे तो उनके क्रियान्वयन से उग्रवाद, कट्टरतावाद, आतंकवाद इत्यादि के बढ़ावा देने, उकसाने, फैलाने, प्रशिक्षित करने या फिर आयोजित करने से व्यक्तियों को न केवल रोका और प्रतिबंधित ही किया जा सकेगा; अपितु आतंकवादी परिघटनाओं को घटित होने से बीच में ही बाधित भी किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप आंतरिक आतंकवाद के साथ-ही-साथ बाह्य आतंकवाद भी स्वतः समाप्त हो जायेगा।

***

Scanned with CamScanner